

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

03 / 2021
18.03.2021

रामदयाल जाट पुत्र भूरालाल जाति जाट नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक (रसद विभाग) निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0

रेसपो0

अपील विरुद आदेश दिनांक 25.02.2021 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपरिस्थिति:-

1. श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक -अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार -रेस्पाडेन्ट

निर्णय

दिनांक 14.07.2022

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 25.02.2021 से श्री रामदयाल जाट, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नटवाडा तहसील निवाई का प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ग्राम नटवाडा में उचित मूल्य दुकानदार है। रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 6.10.2020 को अपीलान्ट की दुकान का कथाकथित रूप से निरीक्षण किया गया एवं एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कथित रूप से अनियमितता पाया जाना बताते हुए जिला रसद अधिकारी टोंक के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की है। योग्य अधिनस्थ प्राधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 13.10.2020 को अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करते हुए अपीलान्ट को आवंटित उचित मूल्य की दुकान को डीलर श्री शंकरलाल की दुकान के साथ अटेच करते हुये कारण बताओं नोटिस जारी किया। अपीलान्ट द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब दिया गया, परन्तु अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण को गलत रूप से नकारते हुए और यह अवधारित करते हुये प्रवर्तन निरीक्षक निवाई की रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण दिनांक 6.10.2020 को अप्रार्थी डीलर की दुकान में 190 क्विंटल 58 किलोग्राम में 50 क्विंटल कम पाया गया था एवं उसके द्वारा बाद में 50 क्विंटल



जिला कलेक्टर
टोंक

कर गेहूँ की कमी पूर्ति करना कार्योत्तर गन्जूरी की श्रेणी में आता है, जिससे अप्रार्थी डीलर की बदनियती साबित होती है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियती से गेहूँ का दुरुपयोग करना, गेहूँ की सार संभाल नहीं करने पर गंभीर अनियमितता है और प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना है। प्राधिकारी का आदेश विरोधाभासी है। एकतरफ तो यह कहा गया है कि निरीक्षण के समय गेहूँ कम मिला वही दूसरी ओर यह भी पाया गया कि प्रार्थी की दूकान दूसरे डीलर के साथ अटेच करने पर उसने गेहूँ संभाला वह पूर्ण था। जबकि दुकान पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण की दिनांक से ही अपीलान्त का नियन्त्रण नहीं था, बल्कि रेस्पोंडेण्ट का नियन्त्रण था। ऐसी स्थिति में निरीक्षण के पश्चात गेहूँ की पूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपीलान्त द्वारा पेश किये गये स्पष्टीकरण का गलत रूप से निर्वचन किया गया है और आलोच्य आदेश पारित किया है। अपीलान्त द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है फिर भी गलत रूप से शर्तों का उल्लंघन माना है और आलोच्य आदेश पारित किया है। अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा आदेश 1976 के खण्ड 6 का उल्लंघन बताया है, लेकिन अपीलान्त के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लंघन हुआ है, का कोई उल्लेख नहीं किया है। वस्तुतः प्राधिकारी पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन था ही नहीं, फिर भी गलत रूप से इस सम्बन्ध में विनियमन खण्ड संख्या 6 का उल्लंघन बताकर आलोच्य आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। तथाकथित निरीक्षण में कई कमियाँ बतायी गई थी, परन्तु अधिनस्थ प्राधिकारी द्वारा केवल गेहूँ के सम्बन्ध में ही अनियमितता मानी है जो भी स्पष्टीकरण के गलत निर्वचन के आधार पर है। अपीलान्त द्वारा किसी भी आदेश की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

परोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा अप्रार्थी डीलर की दुकान पोस कोड नं० 2692 का दिनांक 06.10.2020 को औचक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर उचित मूल्य दुकान का नाम व मूल्य सूची बोर्ड का लिखा हुआ नहीं पाया गया। वक्त निरीक्षण तक माह अक्टूबर 2020 का वितरण कार्य शुरू नहीं किया गया। पोस मशीन में माह अक्टूबर 2020 का राशन रिसीव नहीं किया जाना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर में माह अक्टूबर 2020 का इन्द्राज नहीं पाया गया। पोस मशीन में उपलब्ध स्टॉक 20405 किलोग्राम गेहूँ एवं माह अक्टूबर 2020 का गेहूँ जिसको पोस में रिसीव नहीं किया 6741 किलोग्राम कुल 27146 किलोग्राम स्टॉक में होना चाहिये था, परन्तु भौतिक सत्यापन करने पर 81 क्विंटल गेहूँ ही उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 190.50 क्विंटल गेहूँ कम पाया गया, जिससे प्रथम दृष्टया डीलर द्वारा गेहूँ का खुर्द-बुर्द किया जाना पाया गया। वक्त निरीक्षण तक माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2020 के चने का वितरण शुरू करना नहीं पाया गया, उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 13.10.2020 द्वारा निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.10.2020 को जारी कर अनियमितता का बिन्दुवार जवाब मांगा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनांक 11.11.2020 को जवाब प्रस्तुत किया कि सत्यापन करने पर 81 क्विंटल गेहूँ स्टॉक में था। 190.50 क्विंटल गेहूँ कम पाया जाने के कारण मुझे (डीलर को) 7 दिन का समय और दिया जावे। अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब अपूर्ण व अस्पष्ट होने के कारण पुनः समस्त बिन्दुओं पर स्पष्ट जवाब मांगा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा पुनः नोटिस के बिन्दुओं पर जवाब दिनांक 14.12.2020 को बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया कि माह अक्टूबर 2020 के गेहूँ मशीन में नहीं चढ़ने की वजह से स्टॉक रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया। 271 क्विंटल 46 किलोग्राम गेहूँ स्टॉक में होना चाहिये था सत्यापन करने पर 81 क्विंटल गेहूँ दुकान में उपलब्ध थे, जबकि



जिला कलेक्टर
टोक

सत्यापन में 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहू कम पाया गया, 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहू मैंने खरीद लिया है। अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 14.12.2020 के सत्यापन हेतु प्रवर्तन निरीक्षक निवाई से दुकान में उपलब्ध गेहू का सत्यापन करने हेतु निर्देश दिये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा दिनांक 25.02.2021 को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी डीलर के गोदाम में पूर्व में दिनांक 06.10.2020 को निरीक्षण करने पर 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहू 250 किलोग्राम चना एवं 232.50 किलोग्राम चीनी उपलब्ध नहीं पाए गए थे। दिनांक 25.02.2021 को उक्त स्टॉक (381 कट्टे +30 = 411 कट्टे मौके पर उपलब्ध पाये गये परन्तु अटैच डीलर श्री शंकरलाल जाट द्वारा मौके पर 272 कट्टे गेहू एवं 250 किलोग्राम चना एवं 45 किलोग्राम चीनी स्टॉक का अधिग्रहण किया जाना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब असंतोषप्रद है। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई की रिपोर्ट अनुसार वक्त निरीक्षण दिनांक 06.10.2020 को अप्रार्थी डीलर की दुकान में 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहू कम पाया गया था एवं उसके द्वारा बाद में गेहू खरीदकर गेहू की कमीपूर्ति करना कार्योत्तर मंजूरी (Post facto) की श्रेणी में आता है, जिससे अप्रार्थी डीलर की बदनियति साबित होती है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहू का दुरुपयोग करना, गेहू की सार-सम्भाल नहीं करने पर गम्भीर अनियमितता है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लंघन है। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। श्री रामदयाल जाट, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नटवाडा तहसील निवाई की दुकान का प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा दिनांक 06.10.2020 का औचक निरीक्षण करने पर दुकान के बाहर उचित मूल्य दुकान का नाम व मूल्य सूची बोर्ड का लिखा हुआ नहीं पाया गया। माह अक्टूबर 2020 का वितरण कार्य शुरू नहीं किया गया। पोस मशीन में माह अक्टूबर 2020 का राशन रिसीव नहीं किया जाना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर में माह अक्टूबर 2020 का इन्द्राज नहीं पाया गया। पोस मशीन में उपलब्ध स्टॉक 20405 किलोग्राम गेहू एवं माह अक्टूबर 2020 का गेहू जिसको पोस में, रिसीव नहीं किया 6741 किलोग्राम कुल 27146 किलोग्राम स्टॉक में होना चाहिये था, किन्तु भौतिक सत्यापन करने पर 81 क्विंटल गेहू ही उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 190.50 क्विंटल गेहू कम पाया गया। माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2020 के चने का वितरण शुरू करना नहीं पाया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 14.12.2020 में स्वयं ने स्वीकार किया है कि 271 क्विंटल 46 किलोग्राम गेहू स्टॉक में होना चाहिये था, परन्तु सत्यापन के दौरान 81 क्विंटल गेहू ही दुकान में उपलब्ध थे। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहू कम पाये जाने के बाद अप्रार्थी डीलर द्वारा 190 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहू खरीदा गया है। डीलर द्वारा बाद में गेहू खरीदकर गेहू की कमी-पूर्ति करना कार्योत्तर मंजूरी (Post facto) की श्रेणी में आता है, जिससे अप्रार्थी डीलर की बदनियति साबित होती है।

जिला रसद अधिकारी टोक द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1054 दिनांक 16.04.2021 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोक से उक्त गेहू की जांच हेतु लिखे जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोक ने उनके पत्र क्रमांक 913 दिनांक 22.04.2021 से जिला रसद



जिला कलेक्टर
टोक


अधिकारी टोंक को अवगत कराया है कि दिनांक 22.04.2021 को कार्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर व प्रवर्तन निरीक्षक कीर्ति शर्मा द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किये जाने पर पाया कि राशन डीलर श्री रामदयाल जाट सेन्टर नटवाडा के कब्जे में रखे अनुमानित 139 कट्टे गेहूँ का भौतिक निरीक्षण करने पर अनुमानित 80-85 कट्टों में से रण्डम चयन कर 6-7 कट्टों के गेहूँ का निरीक्षण करने पर गेहूँ में जीवित कीड़े व मृत कीड़े पाया गये एवं 70-80 प्रतिशत गेहूँ खोखले मिले एवं गेहूँ को हाथ में लेने पर गेहूँ का पावडर हाथों के साथ लगता हुआ मिला, इससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी (डीलर) द्वारा उक्त गेहूँ का रख-रखाव सही तरीके से नहीं किया गया है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का दुरुपयोग करना, गेहूँ की सार-सम्माल नहीं करने पर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी टोंक ने अपीलाण्ट द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लंघन करने के कारण प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 25.02.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोंक
टोंक